जनपद बाराबंकी

दिनांक 29.04.2025

चोरी व लूट करने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध बाराबंकी पुलिस द्वारा जिला बदर (जिले से निष्कासित) की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में चोरी व लूट करने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त व गुण्डा/अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।

थाना सतरिख पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी कृष्णा राजपूत पुत्र रामप्रताप निवासी भिटौलीकला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी के विरुद्ध चोरी व लूट जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किये गए तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है।

इसी क्रम में मा0 न्यायलय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में चल रहे वाद संख्या 926/2022 सरकार बनाम कृष्णा राजपूत अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम के अभियुक्त/अभ्यस्त अपराधी अभियुक्त कृष्णा राजपूत उपरोक्त को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला/हस्ताक्षर करवाकर मुनादी कराते हुए उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त कृष्णा राजपूत उपरोक्त आज दिनांक 29.04.2025 से अग्रिम 06 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा से निष्कासित आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 440/2020 धारा 394/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 445/2020 धारा 379/411 भादवि
3. मु0अ0सं0 447/2020 धारा 307 भादवि